*स्पीड पोस्ट* *संख्या-6/एफ1-304/2018 श्र0सं0-* 5772

*बिहार सरकार,*

*श्रम संसाधन विभाग*

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

*उप श्रमायुक्त, बेगूसराय ।*
*श्रमायुक्त के सचिव ।*

पटना, दिनांक- 24.7.18

*विषयः-* *राज्य योजना श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत* **CFMS Software** *से निर्गत किये गये* **CFMS Order No.- 3279 dated- 24-07-18** *के संबंध में।*

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नही रहने के कारण *राज्य योजना श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत* **CFMS Software** *से निर्गत किये गये* **CFMS Order No.- 3279 dated- 24-07-18** में राशि किस हेतु निर्गत की गयी है, का उल्लेख संभव नहीं है।

**CFMS Order No.- 3279 dated- 24-07-2018** से आवंटित की गयी राशि निकासी में निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित आवंटित की गयी है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-04.05.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

*5. उप श्रमायुक्त बेगूसराय को आवंटित की गयी राशि दिनांक-01.05.2018 को मई दिवस के अवसर पर कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार के आयोजन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित की गयी है। आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र में मई दिवस कार्यक्रम आयोजन के सभी आवश्यक साक्ष्य यथा-फोटो, अखबार कतरन, पम्पलेट अवश्य संलग्न होना चाहिए ।*

6. श्रमायुक्त के सचिव को आवंटित की गयी राशि उनके पीत पत्र संख्या-1255/SLC दिनांक-27.6.18 के आलोक में है।

7. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

P/

10



8. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

9. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।

10. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

24/07/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/18 श्र0सं0- 5772 पटना, दिनांक 24-7-18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/प्रशाखा-01(श्रम पक्ष)/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

24/07/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।